क्रम-संख्या-82

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-
डब्लू०/एन०पी०/91/2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 4 मार्च, 2009

फाल्गुन 13, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 495/79-वि-1-09-1(क)34-2008

लखनऊ, 4 मार्च, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 3 मार्च, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 5-क का निकाला जाना

2—सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5-क निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

3—(1) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1979)का अधिनियमन उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) का संशोधन एक नई धारा 5-क को बढ़ाने के लिए इस आशय से किया गया था कि उक्त अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी के शासी निकाय या उसके किसी सदस्य के लिए यह विधिपूर्ण न होगा कि वह उस सोसायटी की किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण, न्यायालय के पूर्वानुमोदन के बिना करे। चूँकि ऐसा प्रावधान अन्य राज्यों में नहीं था, अतः इस राज्य में कार्यरत सोसायटीयाँ अन्य राज्यों की तुलना में अपने कारबार का संचालन सफलतापूर्वक नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त उक्त प्रावधान के फलस्वरूप इस राज्य की सोसाइटियों को अपने कार्यकलापों के संचालन हेतु अपनी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि ऐसे अन्तरणों के लिए उसके अनुमोदन देने संबंधी उक्त प्रक्रिया में अधिक समय लगता था। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि धारा 5-क के उक्त उपबन्ध को निकालने के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सन् 1860 के उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 2008 को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा
सचिव।

No. 495(2)/LXXIX-V-1-09-1(Ka) 34-2008

Dated Lucknow, March 4, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Society Registrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2009.

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 2009

(U. P. ACT NO. 13 OF 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2009.

(2) It shall be deemed to have come into force on December 11, 2008.

Omission of section 5-A of Act no. 21 of 1860

2. Section 5-A of the Societies Registration Act, 1860 hereinafter referred to as the principal Act shall be *omitted*.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 7 of 2008

3. (1) The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1979 (U.P. Act no. 26 of 1979) was enacted to amend The Soci eties Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) in its application to Uttar Pradesh to insert a new section 5-A of the intention that it shall not be lawful for the governing body of a society registered under the said Act, 1860 or any of its members to transfer any property belonging to that society without the previous approval of the Court. Since such provision did not exist in other States the societies working in this State could not conduct their business successfully in comparison to other States. Besides by virtue of the said provision the societies of this State were facing difficulty in the transfer of then immovable property for the conduct of then activities because the course take much time to give their approval for such transfers. It was, therefore decided to amend the said Act of 1860 in its application to Uttar Pradesh to omit the said provision of section 5-A.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 7 of 2008) was promulgated by the Governor on December 11, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P. V. KUSHWAHA
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 1045 राजपत्र (हि०)–2009 –(2252)–597 प्रतियां–(कं० / टी० / आ०)।
पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 188 सा० विधायी- 2009–(2253)–850 प्रतियां–(कं० / टी० / आ०)।